




उत्तर मध्य रेलवे

NORTH CENTRAL RAILWAY

कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक), झाँसी

Office of the Divisional Railway Manager (Personnel) Jhansi Pin-284003



पत्र सं०-पी/329/चयन/गुप डी से सी/33.33%-16.67%/सीसीटीसी/सीबी-सीए

दिनांक: 21.01.2022

सर्वसंबन्धित झाँसी मंडल

विषय:-झाँसी मण्डल पर वाणिज्य विभाग में 33.33 % विभागीय कोटे (एलजीएस) के अन्तर्गत वाणिज्य सह टिकट लिपिक (Commercial cum Ticket Clerk) लेवल-3 (जीपी 2000) के रिक्त पदों को चयन के माध्यम से भरे जाने हेतु लिखित परीक्षा की सूचना के संबंध में।

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.06.2021 के द्वारा उक्त चयन हेतु जारी अधिसूचना के क्रम में पत्र दिनांक 13.12.2021 में लिखित परीक्षा की तिथि 13.02.2022 निर्धारित की गयी थी।

अब कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान परिस्थिति को संज्ञान में रखते हुए सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा पूर्व निर्धारित लिखित परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 13.03.2022 (रविवार) को कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

लिखित परीक्षा का कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

लिखित परीक्षा तिथि 13.03.2022 (रविवार)

समय प्रातः 11.00 बजे पूर्वाह्न

लिखित परीक्षा का स्थान बाद में घोषित किया जायेगा।

अतः उक्त दिनांक को आयोजित लिखित परीक्षा के लिये इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.12.2021 एवं 29.12.2021 के अनुसार प्रोविजनली आधार पर पात्र घोषित किये गये कर्मचारियों को सर्व संबंधित पर्यवेक्षक/डिपो इन्चार्ज उक्त चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के लिये दिनांक 13.03.2022 (रविवार) को निर्धारित समय पर बेयरर पत्र (सत्यापित हस्ताक्षर) के साथ संबंधित कर्मचारी को परीक्षा स्थल पर भेजना सुनिश्चित करें। इसमें संबंधित कर्मचारियों को सूचना देने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक/डिपो इन्चार्ज की होगी। यदि कोई कर्मचारी इस लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो अपना लिखित शर्तारहित रिफयूजल संबंधित पर्यवेक्षक/डिपो इन्चार्ज से अग्रेषित कराकर (कार्यालय/ पर्यवेक्षक/डिपो इन्चार्ज की मोहर सहित) इस कार्यालय में दिनांक 28.02.2022 तक भेजना सुनिश्चित करें, जिसे भेजने का सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक/डिपो इन्चार्ज की होगी।

कृपया नोट करें तथा सभी पात्र कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से नोट कराये। यदि कोई कर्मचारी सिक/अवकाश में हो तो उसे भी समय से पूर्व सूचित (कर्मचारी के घर के पते पर) किया जाना सुनिश्चित करते हुए पावती प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें। यदि कोई पात्र कर्मचारी अन्यत्र स्टेशन/मंडल पर स्थानान्तरण (अन्तर मंडलीय/अन्तर रेलवे/इन्ट्रा डिवजन) होता है एवं यदि कोई रेल सेवा से त्याग पत्र/तकनीकी त्याग पत्र/रिमूव फ्रम सर्विस/डिसमिसल/स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति/सामान्य सेवा निवृत्ति के अन्तर्गत झाँसी मंडल में नहीं रहता है तो इसकी सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को त्वरित रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त संबंध में भविष्य में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।

कमश:2

इसी कम में उपरोक्त उल्लेखित लिखित परीक्षा का स्थान निर्धारित किये जाने के उपरान्त घोषित किये जाने की स्थिति में सर्व संबंधित को अवगत कराया जायेगा।

इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.12.2021 में उल्लेखित शेष विवरण एवं शर्तें यथावत रहेंगी।



(शैलेन्द्र श्रीवास्तव)

कृते मं० रे० प्रबं०(का) झॉसी

प्रतिलिपि:

1. वरि०मं० वा०प्रबं०, वरि०मं०सरक्षा अधि०, वरि०मं०परि०प्रबं०, वरि०मं०वि०प्रबं०, मंडल परि०प्रबं०, मंडल परि०प्रबं०/सामान्य/ झॉसी को सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक (सर्तकता) इलाहाबाद को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. मुख्य कार्यालय अधी/गोपनीय अनुभाग कार्मिक शाखा झॉसी को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।
4. मु०का०अधी०/प्राप्ति एवं प्रेषक अनुभाग को दिनांक 28.02.2022 तक प्राप्त रिफ्यूजल आवेदनों की एक रजिस्टर में प्रविष्टि कर कार्मिक विभाग के वाणिज्य अनुभाग (सी०ए०) में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं प्रक्रिया क्रियान्वित करने हेतु।
5. मु०का०अधी०/टीएस-टी4, मु०का०अधी०/आई.टी. सेल, कार्मिक शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मु०का०अधी०/आई.टी सेल, कार्मिक शाखा को सूचनार्थ एवं उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मु०वा०निरी०/एमपीपी, मं०मु०टि०निरी०/झॉसी एवं सर्व संबंधित मु०वा०निरी० झॉसी मंडल को व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मंडल मुख्य परिवहन निरीक्षक, परि० निरी (टी०आई०) झॉसी मंडल को व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वरि०मं०विद्युत अभियन्ता/टीआरएस (ओ०पी०) झॉसी एवं वरि०मं०यांत्रिक अभियन्ता/डीजल शोड झॉसी, ग्वालियर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. वरि०मं०यांत्रिक अभियन्ता (ओ एण्ड एफ)/डीजल शोड ग्वालियर एवं वरिष्ठ खण्ड अभियन्ता/ट्रिप शोड निजामुद्दीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व संबंधित मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, झॉसी मंडल को व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मंडल सचिव, एनसीआरईएस, एनसीआरएमयू, एससी-एसटी एवं ओबीसी एसो० झॉसी मंडल को सूचनार्थ।